>

Title: Need to amend the Andaman and Nicobar Gazette Notification No. 165 dated 15.09.2004 through Special Gram Sabha Resolution.

**श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह):** सभापति महोदय, यूपीए सरकार द्वारा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह को बैलगाड़ी के जमाने में धकेल दिया गया है। यूपीए सरकार टू और उनका प्रशासन अंडमान को काले पानी के दिन याद दिलाते हैं। जो लिंक रोड, लाइफ लाइन है, 1979 में अंडमान ट्रंक रोड के दोनों तरफ यानी राइट एंड लैफ्ट में विकास के नाम पर दो सौ मीटर जमीन छोड़ दी गई थी। अंडमान-निकोबार असैम्बली नहीं है, सरकार दिल्ली में बैठी हुई है। दिल्ली के अधिकारियों ने अंडमान जाकर और एसी रूम में बैठकर काला कानून बनाया। उस कानून का नमूना मेरे हाथ में है। 15 सितम्बर, 2004 में कानून बनाया गया। उस कानून द्वारा एटीआर के पास जो दो सौ मीटर जमीन थी, सैंट्रल लाइन एटीआर से लैफ्ट एंड राइट में 200 मीटर जमीन को काटकर तीस मीटर कर दिया गया। बाकी जो 170 मीटर जमीन बची, उसे जारवा रिजर्व के नाम पर दे दिया गया। फरवरी, 2004 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा दिगलीपुर से पोर्ट ब्लेयर तक नेशनल हाईवे दिया गया। जब यूपीए सरकार वन आई, 25 अगस्त, 2005 को जो नेशनल हाईवे एटीआर 333 किलोमीटर था, 227 किलोमीटर कर दिया गया, 106 किलोमीटर काट दिया गया। उसके बाद 30 अक्टूबर, 2007 में बफर जोन लाया। उस समय अकेले ही कानून बना दिया गया और किसी से नहीं पूछा। क्या कभी आपने भारत के विभिन्न राज्यों के बीच में बफर जोन सुना है? मेरे पास अंडमान-निकोबार का मैप है। समुद्र में पांच किलोमीटर जारवा रिजर्व। यदि वहां अंडमान का कोई भी व्यक्ति घुसेगा तो उसे तीन साल से सात साल की जेल और फाइन होगा। वे इससे भी शांत नहीं हुए। मैप में जो सफेद लाइन दिखाई गई है, समुद्र में पांच किलोमीटर बफर जोन और गांव में पांच किलोमीटर बफर जोन । इस कानून के परिणामस्वरूप अंडमान तबाह हो चुका है। उसके बाद अंडमान-निकोबार प्रशासन जारवा की रक्षा हेतु सरकार के पास एक पत्र पड़ा है। अंडमान-निकोबार एबोरिजिनल ट्राइब्स का जो कानून बना हुआ है, उसे सख्त करने के लिए यह फाइल पड़ी है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मैंने एक पत्र उपराज्यपाल महोदय को लिखा है कि आज अंडमान निकोबार में लोकशाही असेम्बली नहीं है, इसलिए सही लोकशाही ही होगी हमारी ग्राम सभा। श्री प्रणब बाबू 7 तारीख को एफडीआई पर बोल रहे थे कि स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे। अब कौन स्टेक होल्डर होगा?...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Do not make a speech. Please come to the point.

**श्री विष्णु पद राय :** किसान लोग होंगे, मुख्य मंत्री होंगे या पोलिटिकल पार्टीज होंगी। हमने उपराज्यपाल महोदय से मांग की कि अंडमान के स्टेक होल्डर कौन हैं -- ग्राम सभा जहां सभी पोलिटिकल पार्टीज और जन-प्रतिनिधि तथा गांव के लोगों की सही लोकशाही। इसलिए ग्राम सभा में भारत सरकार जाये, उपराज्यपाल महोदय जायें और कानून में परिवर्तन करते हुए अंडमान को बचायें, इस मांग को लेकर मैं अनुरोध करूंगा। वर्ष 2004-05 में जो कानून बनाया गया था, वह अंडमान का दुश्मन है, अंडमान की तरक्की को रोकने वाला है, उसे तुंत कैंसिल करके ग्राम सभा से पास करके भारत सरकार नया कानून बनाये। इस मांग के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं।